संख्या-1 /ए-2-238 /दस- 2021-24 (8)/92

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय: अस्थायी पदों के स्थायीकरण एवं अस्थायी पदों की निरंतरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- ए-2-797/दस-87-24 (12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24 (8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक क्रमश: 25 मई, 1987 एवं 02 दिसम्बर, 1998 द्वारा अस्थायी पदों के स्थायीकरण एवं अस्थायी पदों की निरंतरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रशा0विभाग को कतिपय शर्तों के अधीन अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं किन्तु इसके उपरान्त भी प्राय: प्रशा0विभागों द्वारा प्रश्नगत विषयों से संबंधित पत्रावलियॉ परामर्श हेतु वित्त विभाग को संदर्भित की जा रहीं हैं, जिसके कारण प्रश्नगत प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अस्थायी पदों के स्थायीकरण एवं अस्थायी पदों की निरंतरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक क्रमश: 25 मई, 1987 एवं 02 दिसम्बर, 1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रकरण का अपने स्तर पर परीक्षण कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि किसी बिन्दु पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाना आवश्यक ही हो, तो उस बिन्दु विशेष का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाय।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1/ए-2- 238 (1)/दस-2021- 24 (8)/92 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0।
(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov..in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov..in